

जड़ी-बूटी कृषिकरण के अनुदान हेतु प्रारूप

1. नाम श्री/श्रीमती पिता/पति का नाम
2. पता
3. सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था का नाम
4. पंजीकरण संख्या कृषिकरण की प्रजाति
5. प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल रोपण/बुआई तिथि
6. क्या रोपण हेतु किसी संस्था/विभाग से निःशुक्ल पौध प्राप्त हुई है?
7. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली या किसी अन्य संस्था से अनुदान मिला है या नहीं?
8. यदि अनुदान प्राप्त हुआ है। तो कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?
9. जीवित पौधों की संख्या व प्रतिशत
10. फसल कटाई का अनुमानित माह व वर्ष
11. आवेदित अनुदान

(कृषक का हस्ताक्षर)

उक्त कृषक को मेरे द्वारा जड़ी-बूटी कृषिकरण हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा कृषक द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रजाति के नाली/एकड़ कृषिकरण हेतु जिसकी जीवितता प्रतिशत है, रू० की अनुदान धनराशि स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था का नाम व हस्ताक्षर)

उपरोक्तानुसार रू० की अनुदान धनराशि स्वीकृत की जाती है।

निदेशक,
जड़ी-बूटी एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर (चमोली)

जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)

पत्रांक/अनुदान/ /2005-2006 दिनांक गोपेश्वर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्री/श्रीमतीग्राम पो० जिला
2. प्रोत्साहन/प्रतिनिधि संस्था का नाम

निदेशक,
जड़ी-बूटी एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर (चमोली)